भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 140

उत्तर देने की तारीख 25 नवंबर, 2024
4 अग्रहायण, 1946 (शक)

खिलाड़ियों के कल्याण के लिए योजनाएं

140. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के कल्याण के लिए कोई योजना बनाई है अथवा बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के कल्याण पर वर्ष- वार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण देश में खेलों के संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। केंद्र सरकार उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश में खिलाड़ियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित स्कीमों को क्रियान्वित करता है। (i) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के पदक विजेताओं और उनके कोचों के लिए नकद पुरस्कार की स्कीम, (ii) मेधावी खिलाड़ियों के लिए पेंशन और (iii) खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम। इस मंत्रालय की वेबसाइट https://yas.nic.in पर उक्त स्कीमों संबंधी वित्तीय परिव्यय का विवरण उपलब्ध है।

*****